

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय: निजी स्कूल शाखा
पुराना सचिवालय, दिल्ली-54

क्रमांक DE.15(1025)/PSB/2024/ 5725-5729

दिनांक: 07/10/24

परिपत्र

विषय: आरटीई अधिनियम, 2009 और डीएसईएआर, 1973 के तहत दिल्ली के निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में रिक्त सीटों पर प्रवेश स्तर (यानी नर्सरी/केजी/कक्षा-1) पर सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के तहत कम्प्यूटरीकृत डा के माध्यम से छात्रों के ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए शिक्षा निदेशालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए दिशानिर्देश।

1. आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(सी) के अनुसार, सभी निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल (अल्पसंख्यक स्कूलों को छोड़कर) प्रवेश स्तर (प्री-स्कूल/नर्सरी प्री-प्राइमरी/केजी और प्राइमरी/कक्षा-1) पर अपनी कुल क्षमता/ रिक्तियों में से कम से कम 3% प्रवेश आस-पड़ोस के सीडब्ल्यूएसएन वर्ग के छात्रों को देने के लिए बाध्य हैं। और उन्हें प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है।

2. शिक्षा निदेशालय एक बार फिर सत्र 2024-2025 के लिए कम्प्यूटरीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली के माध्यम से दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम, 1973 और आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं (प्री प्री-स्कूल/नर्सरी प्री-प्राइमरी/केजी और प्राइमरी/कक्षा-1) में दिव्यांग श्रेणी (सीडब्ल्यूएसएन- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे) वाले बच्चों के प्रवेश की सुविधा प्रदान किया जा रहा है। आवेदक निदेशालय की वेबसाइट यानी www.edudel.nic.in पर जाकर आवेदन करने के लिए होम पेज पर उपलब्ध "सीडब्ल्यूएसएन एडमिशन" लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।

3. सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के तहत प्रवेश:-

• अधिसूचना संख्या - F.19/DDE(IEDSS)/Admi.Cel/PSB/2018/26923, दिनांक 23.07.2018 के अनुसार, कुल आरक्षित सीट 25% के भीतर 3% सीटें दिव्यांग बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे) के लिए होंगी।

• दिव्यांग बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे) श्रेणी के तहत आवेदक को आय प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता नहीं है।

4. शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली ने डीएसईएआर, 1973 के तहत मान्यता प्राप्त निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों (अल्पसंख्यक स्कूलों को छोड़कर) में कक्षा के प्रवेश स्तर पर कम्प्यूटरीकृत डा द्वारा सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी में सीटों के ऑनलाइन आवंटन की प्रक्रिया शुरू की। वर्ष 2016-17, और वर्ष 2018-19 से आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत मान्यता प्राप्त निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों (अल्पसंख्यक स्कूलों को छोड़कर) में इसे आगे बढ़ाया गया।

6. एक मोबाइल नंबर का उपयोग करके केवल एक ही पंजीकरण किया जा सकता है। आवेदन/प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित सभी संचार केवल उस फोन नंबर के माध्यम से किए जाएंगे।

7. ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु आवेदक द्वारा एक बच्चे के लिए केवल एक ही आवेदन पत्र भरा जायेगा। यदि किसी भी स्तर पर एकाधिक/डुप्लिकेट प्रविष्टियाँ/आवेदन पाए जाते हैं, तो प्रवेश के लिए ड्रा में सफल होने के बाद भी, बच्चे की उम्मीदवारी/प्रवेश रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा, निदेशक (शिक्षा) द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 04.10.2023 के अनुसार, आरटीई अधिनियम - 2009 और डीएसईएआर - 1973 के तहत दिल्ली के निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में रिक्त सीटों के विरुद्ध सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के तहत शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कम्प्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से आवेदन के लिए माता-पिता/कानूनी अभिभावक का आधार नंबर जमा करना अनिवार्य है। हालाँकि, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बच्चे का आधार नंबर अनिवार्य नहीं है।

8. एक बच्चा आदेश संख्या DE. 15(1025)/PSB/2023/Pt.file/7706-7711, दिनांक 01.09.23. के तहत निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों (अल्पसंख्यक स्कूलों को छोड़कर) में सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के तहत प्रवेश स्तर पर प्रवेश के लिए केवल एक बार लाभ प्राप्त कर सकता है। सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के तहत पहले से ही दाखिला लेने वाला बच्चा निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए दोबारा आवेदन नहीं कर सकता है।

9. उक्त ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का कार्यक्रम इस प्रकार है:-

रिक्त सीटों के लिए प्रवेश अनुसूची

सीडब्ल्यूएसएन आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल खोलने की तिथि-	10.10.2024 (गुरुवार)
सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि-	22.10.2024 (मंगलवार)
सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के आवेदकों के लिए कम्प्यूटरीकृत ड्रा की तिथि-	28.10.2024 (सोमवार)

10. दिव्यांग बच्चों की श्रेणी (सीडब्ल्यूएसएन- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे) के तहत आवेदन के लिए आवेदक के पास RPWD Act, 2016, के तहत जारी मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी अस्पताल से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांग व्यक्तियों (समान अवसर, सुरक्षा या अधिकार और पूर्ण भागीदारी) के तहत जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद निर्दिष्ट अवधि के लिए वैध बना रहेगा। दिव्यांग बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे) श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए आवेदक को आय प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता नहीं है।

11. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आयु मानदंड: - दिव्यांग बच्चों की श्रेणी के तहत आवेदक के पास सरकारी अस्पताल से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए जैसा कि RPWD Act, 2016, के तहत जारी मूल्यांकन दिशानिर्देशों में उल्लिखित है। दिव्यांग व्यक्तियों के तहत जारी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र (समान अवसर, सुरक्षा या अधिकार और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद उसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए वैध बना रहेगा। आदेश सं.

F.265/DDE(IEDSS)/Admn.Cell/2017-18/2609-2613, दिनांक - 11.09.2017 के अनुसार (दिव्यांगता वाले व्यक्ति के रूप में एक निर्दिष्ट दिव्यांगता चालीस प्रतिशत से कम न हो और जहाँ निर्दिष्ट दिव्यांगता का मापने योग्य शर्तों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें दिव्यांगता वाला व्यक्ति शामिल है जहाँ निर्दिष्ट दिव्यांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित है") उक्त आदेश की निरंतरता में आदेश सं. - F.213/ DDE(IEB) /Admn.Cell/2022/6417-6431, दिनांक - 09.08.2023, के अनुसार दिव्यांग बच्चों की श्रेणी के लिए आयु मानदंड है निम्नानुसार:

कक्षा	दिव्यांग बच्चों/सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के लिए कक्षा 31.03.2024 तक आयु सीमा
प्री-स्कूल/नर्सरी -	3-7 वर्ष
प्री-प्राइमरी/केजी -	4-8 वर्ष
प्राथमिक/कक्षा 1 -	5-9 वर्ष

12. प्रवेश के समय कैपिटेशन शुल्क/दान की माँग पर रोक के संबंध में:- "कैपिटेशन शुल्क का अर्थ है स्कूल द्वारा अधिसूचित शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार का दान या भुगतान का योगदान" माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार राकेश गोयल बनाम के मामले में एल.पी.ए. 196/2004. मॉट फोर्ट स्कूल और आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 13(1) के तहत कोई भी स्कूल या व्यक्ति किसी बच्चे को प्रवेश देते समय माता-पिता से कोई कैपिटेशन शुल्क, दान नहीं लेगा। कोई भी स्कूल या व्यक्ति जो इस प्रावधान का उल्लंघन करता है और कैपिटेशन शुल्क प्राप्त करता है, उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो कैपिटेशन शुल्क से 10 गुना तक हो सकता है।

13. कम्प्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से सीट आवंटन के लिए आवासीय पता मुख्य मानदंड है। हालाँकि, यह देखा गया है कि माता-पिता/अभिभावक किसी पसंदीदा स्कूल में प्रवेश पाने के लिए जानबूझकर गलत इलाके/उप-स्थान/उप-उप-स्थान का चयन करके हेरफेर करते हैं। अतः आवासीय पते के संबंध में विवरण भरने के संबंध में ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म में आवश्यक संशोधन/परिवर्तन किए गए हैं। (अर्थात् इलाका/उप-स्थान/उप-उप-स्थान), जो इस प्रकार है:-

आवासीय पता	
इलाका	क्षेत्र
उप-इलाका	गांव/कॉलोनी/अपार्टमेंट/सेक्टर/पॉकेट/ ब्लॉक/गली
उप-उप-इलाका	आदि.

सभी माता-पिता/अभिभावक जो पसंदीदा स्कूल में प्रवेश पाने के लिए संशोधन के अनुसार आवासीय पते के बारे में गलत जानकारी भरेंगे, तो बच्चे का प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

14. प्रवेश के समय या बाद के चरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जाली/नकली पाए जाने पर बच्चे का प्रवेश/आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरण और प्रवेश के समय जमा किए गए दस्तावेजों में भिन्नता पाए जाने पर उम्मीदवारी/प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन के समय माता-पिता/कानूनी अभिभावक द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा में बदलाव का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए बदलाव के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है।

15. कम्प्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से आवेदक को एक बार आवंटित स्कूल किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जाएगा।

16. दिव्यांग बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) श्रेणी के प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन से संबंधित प्रश्नों और शिकायतों के निवारण और चयनित सफल उम्मीदवारों का कम्प्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक जिले में शिक्षा उप निदेशक (जिला) की अध्यक्षता में एक निगरानी सेल का गठन किया जाएगा।।

17. उपरोक्त के अलावा, शिक्षा निदेशालय के निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में दिव्यांग बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) श्रेणी में प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए, शिकायत या प्रश्न सभी कार्य दिवस (सोमवार से शुक्रवार), को (सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच) हेल्पलाइन नंबर 9818154069 पर किए जा सकते हैं।

उपरोक्त सभी निर्देश सभी संबंधितों द्वारा कड़ाई से अनुपालन के लिए जारी किए गए हैं और आदेश का अनुपालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा।

सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति से जारी

सु. बिजू

(सुशिता बिजू)

उप शिक्षा निदेशक (पीएसबी)

No. DE.15(1025)/PSB/2024/ 5725-5727

Dated: 07/10/24

कॉपी:-

1. सचिव (शिक्षा), शिक्षा निदेशालय, जीएनसीटीडी के निजी सचिव।
2. निदेशक (शिक्षा), शिक्षा निदेशालय, जीएनसीटीडी के निजी सचिव।
3. सभी क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, जीएनसीटीडी।
4. सभी डीडीई (जिला), शिक्षा निदेशालय, जीएनसीटीडी।
5. प्रभारी (कम्प्यूटर सेल) को सार्वजनिक परिपत्र में इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

सु. बिजू

(सुशिता बिजू)

उप शिक्षा निदेशक (पीएसबी)